संख्या-688/XIV-1/2005-1(9)/2005

प्रेषक,

नवीन चन्द शर्मा,

सचिव,

उत्तरांचल शासन.

सेवा में,

निबन्धक,

सहकारी समितियाँ, उत्तरांचल

अल्मोड़ा।

सहकारिता, गन्ना एवं चीनी अनुभाग:-1 देहरादून: दिनांक: 9 दिसम्बर ,2005

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2005-06 के लिए लघु एवं सीमान्त कृषकों तथा बी0पी0एल0 परिवारों को सहकारी ऋणों पर राजकीय अनुदान के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति.

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर निबन्धक सहकारी समितियां उत्तरांचल के पत्र संख्या 3205/निब0/ब्याज राहत/2005-06 दिनांक 22 सितम्बर.2005 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2005-06 में लघु एवं सीमान्त कृषकों तथा बी0पी0एल0 परिवारों को सहकारी ऋणों पर राजकीय अनुदान के रूप में रूपये 61.28 लाख (रू0 इकसठ लाख अट्ठाइस हजार) की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1. उक्त धनराशि का उपयोग शासनादेश संख्या-233/2005/XIV-1/2005, दिनांक 28 अप्रैल,2005 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार ही किया जायेगा।

2. अपर निबन्धक, सहकारी समितियां उत्तरांचल स्वीकृत धनराशि के आहरण की सूचना महालेखाकार (लेखा) कार्यालय उत्तरांचल को शासनादेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, आहरण संख्या, लेखाशीर्षक तथा आहरण की तिथि सहित सूचित करेंगे।

3. इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे, यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार का विचलन हो तो सम्बन्धित वित्त नियंत्रक आदि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दे दी जाय।

4. उक्त स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि उक्त धनराशि केवल इसी योजना के अन्तर्गत स्वीकृत ऋणों पर देय ब्याज के राजकीय अंश के अनुदान के रूप में ही व्यय/प्रति पूर्ति की जाय, तथा किसी ऐसे कार्य/मद पर धनराशि व्यय न की जाय, जो योजना में स्वीकृत नहीं है.

5. स्वीकृत धनराशि का उपयोग निश्चित रूप से उन्हीं मदों पर किया जाय, जिसके लिए स्वीकृति दी जा रही है. यदि उसका उपयोग अन्यत्र अथवा किसी अन्य मद में किया जाता है तो सम्बन्धित अधिकारी इसके लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे तथा उनसे अप्राधिकृत व्यय की वसूली की जायेगी.

6. उक्त स्वीकृत धनराशि का योजनावार व्यय विवरण प्रत्येक माह का उसके अगले माह की 5 तारीख तक थी.एम.-13 पर नियमित रूप से वित्त विभाग, शासन तथा महालेखाकार को भिजवाना सुनिश्चित करें.

7. उक्त व्यय शासन के वर्तमान सुसंगत आदेशों/निर्देशों के अनुसार किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जाय कि उक्त धनराशि किसी ऐसे कार्य/मद पर व्यय न की जाय,, जिसके लिए

य हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के अन्तर्गत शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति अपेक्षित वित्तीय हस्त पुस्तिका में उल्लिखित सुसंगत नियमों का अनुपालन किया जाय.

उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2005-06 के अनुदान संख्या-18 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक- -सहकारिता-आयोजनागत-00-800-अन्य व्यय-13-सहकारी सहभागिता योजना-00-20-सहायक न /अंशदान/राज सहायता के नामें डाला जायेगा.

यह आदेश वित्त विभाग को अशासकीय पत्र संख्या- 48 /वित्त (व्यय नियंत्रण) ग-4/2004/दिनांक 19.11.2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है.

भवदीय,

(नवीन चन्द शर्मा)
सचिव.

ा- 688 (1)/ XIV-1/2005-1(९)/2005/तद्दिनांक.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून.
2. आयुक्त, कुमाऊं मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी.
3. सचिव, कृषि उत्तरांचल शासन।
4. सचिव, वित्त विभाग, उत्तरांचल शासन।
5. अपर निबन्धक, सहकारी समितियां उत्तरांचल अल्मोड़ा।
6. कोषाधिकारी/जिलाधिकारी, उत्तरांचल अल्मोड़ा।
7. निदेशक, कोषागार एवं वित्त, 23 लक्ष्मी रोड देहरादून।
8. बजट नियंत्रण प्रकोष्ठ उत्तरांचल शासन।
9. निदेशक एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर उत्तरांचल।
10. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन, सचिवालय देहरादून।
11. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(के0एस0दरियाल)
अपर सचिव.